


राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2016/165-74

जयपुर, दिनांक:- 25.01.2023


आदेश

अभियोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक सं. 3-5(2)स्था/अभि/2016/83-132 दिनांक 14.01.2023 द्वारा श्री जयपाल सिंह धायल, कनिष्ठ सहायक का कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर महानगर, प्रथम से कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, चित्तौड़गढ़ किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाकर इनका पदस्थापन यथावत कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर महानगर, प्रथम में वरिष्ठ सहायक पद के विरुद्ध रिक्त पद पर किया जाता है।


(युधिष्ठिर शर्मा)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
5. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन ~~जयपुर I~~।
7. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर